न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 66/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. सुभाषचन्द पुत्र केदारनाथ जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
2. श्रीमती कमलेश भडाना पत्नी अतरसिंह भडाना जाति गुर्जर निवासी भौडा गांव तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.09.19 तहसीलदार वैर मिसिल नम्बर 74/2019 रिपोर्ट पटवारी बनाम सुभाष चन्द, मुकेश (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री हेमराज शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 23.01.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार वैर का आदेश दिनांक 05.09.2019 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है जो काविल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्टान के द्वारा चारागाह व पोखर पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ही उसमें किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण किया है और न ही कांटा लगाया है, अपीलान्ट की एक फर्म सुभाषचन्द मुकेशचन्द के नाम से है, जिसमें सिलिकासेंड की लीज खनिज विभाग से ले रखी है तथा उसमें कार्य हेतु आवश्यक निर्माण एवं कांटा आदि खसरा नम्बर 691, 692 एवं 719 जो जमूरा पुत्र कल्याण गुर्जर की खतेदारी के है उसमें बना रखे है। चारागाह भूमि में कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं है, जहां तक रास्ते का सवाल है, रास्ता पूर्व से ही कई

गावों को जाता है उसी को अपीलान्टान की फर्म काम में लेती है, अपना अलग से कोई निजी रास्ता चारागाह भूमि में कायम नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों को जाने बिना अपीलान्टान को गलत आधारों पर चारागाह/पोखर पर अतिक्रमण मानकर बेदखली/पैनल्टी कायम करने के आदेश देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि चारागाह पर अतिक्रमण बाबत मौके पर नापकर अवगत कराने की लिखित में प्रार्थना की थी जिसमें सत्यता का पता चल सके, यदि चारागाह/पोखर पर अतिक्रमण पाया जावे तो वे उसे हटाने को तैयार है, परन्तु ऐसा न करते हुये मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट पर विश्वास कर आदेश पारित कर दिया जो कि अवैधानिक है व काविज खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का दिनाक 04.09.2019 को अपने कार्यालय से नोटिस जारी करके दिनांक 05.09.2019 को अदालत में उपस्थित होकर जबाब पेश करने का आदेश दिया परन्तु अपीलान्टान को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। आदेश अवैधानिक एवं वॉइड है व काविल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर आदेश देने में कानूनी भूल की है, रिपोर्ट की ताईद में पटवारी के बयान तक रिकार्ड नहीं किये गये है और न ही अपीलान्टान का पटवारी से जिरह करने का मौका दिया है, अपीलान्टान के न्यायालय में उपस्थित होते ही बेदखली का आदेश दे दिया तथा साक्ष्य पेश करने का कोई मौका नहीं दिया है। अपीलान्ट के द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य पर न तो विचारण किया है और न ही उन्हे न माने जाने का काई कारण दर्ज किया है, जबाब जो पेश किया है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है, आदेश इकतरफा है, जो पत्रावली पर आये तथ्यों से बाहर जाकर कयास के आधार पर दिया गया है जो इकतरफा आदेश है। सुयोग्य तहसीलदार वैर को मौके पर जाकर सत्यता की जांच करनी चाहिये थी विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि अपीलान्टान चारागाह पर अतिक्रमण होना नहीं मानते है व नापकर बताने की कहते है व यदि अतिक्रमण पाया जाये तो छोडने के लिये तैयार है, परन्तु ऐसा न करके उपरोक्त अवैधानिक आदेश पारित कर दिया है। तहसीलदार जी पहले से ही उक्त आदेश सुनाने को आतुर थे तथा जैसे ही अपीलान्टान जबाब लेकर न्यायालय में उपस्थित हुये, जबाब को पढे बिना ही तुरन्त प्रभाव से बेदखली का आदेश जारी कर दिया, उक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से तानाशाही पूर्वक की है, जो कि अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। सिलिकासेड की लीज फर्म के नाम से है तथा फर्म ही जगह पर कार्य कर रही है, अतः नोटिस

फर्म के नाम से ही जारी होना चाहिये था, कार्यवाही अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 05.09.2019 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.09.2019 को बेदखली आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। चारागाह/गै0मु0 पोखर की भूमि मानकर निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्टान ने आराजी खसरा नम्बर 691, 692 एव 719 जो कि जमूरा पुत्र कल्याण गूर्जर की खातेदारी की है इसी पर आवश्यक निर्माण कार्य कराया गया है। अपीलान्टान ने चारागाह/पोखर की किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर समस्त कार्यवाही की गई है। पटवारी से जिरह करने का मौका भी अपीलान्टान को नहीं दिया गया है। विवादित भूमि की नाप करा दे, यदि हमारा अतिक्रमण पाया जाता है तो हम हटा देगे। अपीलान्टान के द्वारा जबाब प्रस्तुत करते ही उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्टान को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ नयायालय तहसीलदार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 925/3.16 चारागाह में से 0.13 हैक्ट., 926/1.1 गैर मुमकिन पोखर में से 0.05 हैक्ट, 927/3.13. चारागाह में से 0.33 हैक्ट. भूमि पर पक्का रिहायशी मकान, पार्क, शोचालय, पानी की टंकी, धर्मकांटा पशुवाडा व कॉमर्शियल रास्ता बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका अधीनस्थ को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ अधीनस्थ द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। विवादित भूमि गैरमुमकिन चारागाह/गै0मु0पोखर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन

आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का जगजीवनपुर दिनांक 03.08.2019, रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत जगजीवनपुर दिनांक 03.08.2019 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी के पृष्ठ भाग पर नजरी नक्शे का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार वैर के निर्णय दिनांक 05.09.2019 का अवलोकन किया गया। पटवारी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 927 कुल रकवा 3.13 है0 किस्म चारागाह में अपीलान्टान द्वारा 3294 वर्ग मीटर यानि 0.33 है0 पर तथा खसरा नम्बर 926 कुल रकवा 1.1 है0 किस्म गैर मुमकिन पोखर में से 456 वर्गमीटर यानि 0.05 है0 तथा 925 कुल रकवा 3.16 है0 किस्म चारागाह में से 1292 वर्ग मीटर यानि 0.13 है0 पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है जिसकी पुष्टि भू अभिलेख निरीक्षक वृत जगजीवनपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.08.2019 से की है। नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि अपीलान्टान ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। न्यायालय तहसीलदार वैर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि उक्त प्रकरण पटवारी हल्का जगजीवनपुर से प्राप्त अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार वैर में दर्ज हुआ तथा अपीलान्टान को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। दिनांक 05.09.2019 की आर्डर सीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपी0 सुभाषचन्द न्यायालय तहसीलदार वैर में उपस्थित रहे है और उनके द्वारा जबाब भी पेश किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा अपीलान्टान को सरकारी भूमि से बेदखल करने का निर्णय सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार वैर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर